

प्रेषक,

संख्या: ५८९ /X-4-16/2(33)/2015

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

रोवा में,

अपर प्रमुख वन रांस्काक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: २२ दिसम्बर, 2016

विषय: जनपद-रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग जलोत्सारण योजना हेतु 0.02, हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संराधन विकारा एवं निर्माण निगम को हस्तांतरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र रांख्या-3251/FP/UK/Others/12505/2015 दिनांक 02 मई, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल गहोदय जनपद-रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग जलोत्सारण योजना हेतु 0.02, हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संराधन विकारा एवं निर्माण निगम को हस्तांतरण करने की सैद्धान्तिक स्तीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शारानादेश रांख्या-एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित रातों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जगा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चताग न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०स०-५६६ एवं भारत सरकार पत्र संख्या: ५-३/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निधारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र रांख्या ५-३/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूरारी रापी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०वी०-25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ब्राफट/चेक की छायाप्रति सहित

प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आव्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदबार विवरण अर्थात् एन०पी०वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित रथल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति गान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संरक्षियों एवं गू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के 31.तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निधिरित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का आधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,
११/१

(मीनाली जोशी)
अपर सचिव।

संख्या: ५८९ (१) / X-4-16 / २(३३) / २०१५, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन रांक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ०आर० आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, पैद जल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
6. अधिशासी अधियंता, उत्तराखण्ड पैद जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुद्रप्रयाग।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
११/१
(आर० के० तोमर)
संयुक्त सचिव।